102

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प सं० पी०सी०-01/99 11556 वि०पें०, दिनांक 22-12-1999 की प्रतिलिपि।]

विषय:– राज्य सरकार के सेवीवर्ग के पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा उपदान के प्रावधानों में फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से पुनरीक्षण ।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपदान आदि से सम्बन्धित मामलों पर भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगियों कल्याण मंत्रालय) के पत्रांक एफ 45/86/97 पी० एण्ड डी०डब्लू० (ए०) भाग 1, दिनांक 27 अक्टूबर, 1997 के आलोक में फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त, राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में, केन्द्र सरकार के तत्सम्बन्धी नियमों के अनुरूप, परवर्त्ती कंडिकाओं के अनुसार, पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है ।

2. प्रभाव की तिथि:–

(i) इस संकल्प में निहित पेंशन एवं उपदान के पुनरीक्षित प्रावधान वैसे सरकारी सेवकों में लागू होंगे, जो दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं अथवा जिनकी मृत्यु दिनांक 1 जनवरी, 1996 को अथवा उसके बाद सेवाकाल में हुई हो। दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से पेंशन का पुनरीक्षण केवल वैचारिक रूप से किया जायेगा एवं पेंशन पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के प्रभाव से ही अनुमान्य होगा। इसका अर्थ यह है कि 1 जनवरी, 1996 से 31 मार्च, 1997 की अवधि के लिए किसी प्रकार का बकाया देय नहीं होगा।

(ii) उक्त कोटि के जिन मामलों में इस आदेश के निर्गत होने के पहले ही औपबंधिक पेंशन स्वीकृत हुआ हो, उसका पुनरीक्षण इस संकल्प में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। जिन मामलों में वित्त-विभाग के संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19 अप्रैल, 1990 एवं अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व ही पेंशनादि की अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो, उनका भी पुनरीक्षण, वर्तमान आदेश के अनुसार किया जायेगा, बशर्त्ते कि इस प्रकार का पुनरीक्षण पेंशनभोगी के लिए लाभकारी हो।

3. परिलब्धियाँ:–

(i) पेंशन हेतु परिलब्धियाँ:– पेंशन की गणना हेतु परिलब्धियों से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 26(ए) (i) में उल्लिखित मूल वेतन सहित गत्यावरोध वेतनवृद्धि की राशि तथा ह्रासमान वैयक्तिक वेतन की राशि से अभिप्रेत है। जिसका भुगतान सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि को किया गया है। इस प्रकार, औसत परिलब्धियों का निर्धारण सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के ठीक दस माह पूर्व की अवधि में प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर किया जायेगा।

(ii) पारिवारिक पेंशन हेतु परिलब्धियाँ:– पारिवारिक पेंशन की गणना हेतु परिलब्धियों से अभिप्रेत है, सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा सेवाकाल में मृत्यु की दशा में मृत्यु की तिथि को प्राप्त मूल वेतन (गत्यावरोध वेतन वृद्धि तथा ह्रासमान वैयक्तिक वेतन की राशि सहित, अगर अनुमान्य हो)।

(iii) उपदान की गणना हेतु परिलब्धियाँ:– उपदान की गणना हेतु परिलब्धियों से अभिप्रेत है, सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु की दशा में मृत्यु की तिथि को प्राप्त मूल-वेतन (वृद्धिरोध वेतन वृद्धि और ह्रासमान वैयक्तिक वेतन की राशि सहित, अगर अनुमान्य हो) तथा उक्त तिथि को निर्धारित दर से अनुमान्य महँगाई भत्ते के योगफल की राशि।

4. पेंशन:–

(i) पेंशन की दर:– वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19-4-1990 द्वारा यथा संशोधित पद्धति के अनुसार अब भी पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से की जायेगी। पेंशन प्रदायी सेवा के आधार पर पेंशन की राशि के निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ववत् रहेगी।

(ii) पेंशन की राशि के निर्धारण में यह ध्यान रखा जायेगा कि सेवानिवृत्ति की तिथि को विभाग के जिस पद से सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ हो, उस पद के लिए वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 660 वि०, दिनांक 8-2-1999 में स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान के प्रारंभिक वेतन की राशि के 50 प्रतिशत से पेंशन की राशि कम नहीं हो। 33 वर्षों से इन पेंशन प्रदायी सेवा की स्थिति में इस राशि का निर्धारण आनुपातिक रूप से किया जायेगा।

(iii) पेंशन की स्वीकृति की निम्नतम राशि:– पेंशन की न्यूनतम राशि 375 रुपये के स्थान पर 1,275 रुपये प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम राशि वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 660 (वि०), दिनांक 8-2-1999 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान के अधिकतम वेतन की 50 प्रतिशत राशि होगी।

(iv) वैसे सरकारी सेवक जो दिनांक 1 जनवरी, 1996 से 31 अक्टूबर, 1996 के बीच की तिथियों में सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा कतिपय कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के 10 महीने की औसत परिलब्धियों की संगणना, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक का०स० 45/86/97 पें० एवं पें०क०भो०वि० (ए)० भाग 1, दिनांक 18 अक्टूबर, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधानों के अनुकूल निम्न प्रक्रियानुसार अनुमान्य होगी:–

Scanned with OKEN Scanner

(क) दिनांक 1-1-1996 के पूर्व के महीनों में अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन के लिए परिलब्धियों की संगणना निम्नांकित के योगफल पर की जायेगी:–

(i) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतनवृद्धि सहित यदि इस अवधि में स्वीकृत की गई हो),

(ii) अपुनरीक्षित वेतन पर 148 प्रतिशत/111 प्रतिशत/96 प्रतिशत की दर से अनुमान्य महँगाई भत्ता,

(iii) संगत महीनों में प्राप्त अपुनरीक्षित मूल वेतन पर अनुमान्य अंतरिम सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि और,

(iv) अपुनरीक्षित मूल वेतनमान की 40 प्रतिशत की दर से 'फिटमेंट वेटेज' की राशि ।

(ख) दिनांक 1-1-1996 और उसके उपरान्त महीनों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में अनुमान्य परिलब्धियों (अनुमान्य वैचारिक परिलब्धियाँ) उपर्युक्त 'क' एवं 'ख' के योगफल का दसवाँ भाग "औसत परिलब्धियों" की राशि होगी ।

सुविधा प्रदान करने हेतु इस संकल्प के अनुलग्नक 1 एवं अनुलग्नक 2 में औसत परिलब्धियों की संगणना के दो उदाहरण दर्शाये गये हैं।

5. पारिवारिक पेंशन:–

(i) वित्त विभाग की संकल्प संख्या 1853, दिनांक 19-4-1990 में अंगीकृत पद्धति को समाप्त करते हुए, अब सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा सेवाकाल में सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को प्राप्त परिलब्धियों की 3 प्रतिशत, पारिवारिक पेंशन की राशि होगी ।

(ii) पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि:– पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि 375 रुपये के स्थान पर 1,275 रुपये प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम राशि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 वि०, दिनांक 8-2-1999 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की अधिकतम वेतन की 30 प्रतिशत राशि होगी ।

(iii) पारिवारिक पेंशन के निर्धारण में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सरकारी सेवक के पद के लिए निर्धारित नये वेतनमान के प्रारम्भिक वेतन के 30 प्रतिशत से कम पारिवारिक पेंशन की राशि नहीं होगी ।

(iv) पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु परिवार की परिभाषा–वित्त विभाग के ज्ञापांक 9505 वि०, दिनांक 3 अक्टूबर, 1964 द्वारा परिचालित बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1964 की कंडिका 7 की उपकंडिका (ii) का आंशिक संशोधन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार द्वारा अपनाये गये वर्तमान नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु परिवार की परिभाषा में ...

(क) जीवित माता एवं पिता जो सरकारी सेवक पर पूर्णरूपेण आश्रित हों, को भी सम्मिलित किया जाए, बशर्ते कि सरकारी सेवक मृत्योपरान्त अपनी विधवा अथवा कोई सन्तान जीवित नहीं छोड़ गया हो, तथा माता-पिता की आय 2,550 रुपये से अधिक नहीं होगी, तथा

(ख) पुत्र/पुत्री जिसमें विधवा, परित्यक्ता पुत्री भी सम्मिलित हैं, को उनकी 25 वर्षों की आयु पूरी करने तक अथवा पुत्री के मामले में विवाह-पुनर्विवाह की तिथि तक जो भी पहले हो, को भी सम्मिलित किया जाये ।

6. मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान:–

(i) सेवानिवृत्ति उपदान–दिनांक 1-4-1997 को अथवा उसके बाद राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति उपदान की राशि वर्तमान सिद्धान्त की भाँति उसकी पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की परिलब्धियों की एक-चौथाई (1/4) राशि होगी, जो परिलब्धियों के 16.5 गुणा से अधिक नहीं होगी । दिनांक 1-4-1997 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम राशि 3.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है ।

(ii) मृत्यु उपदान–सरकारी सेवक के सरकारी सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की स्थिति में, पूर्व की भाँति, मृत्यु उपदान की गणना वित्त विभाग की संकल्प संख्या 1853, दिनांक 19-4-1990 की कंडिका 3 (iii) के अनुसार निम्नांकित रीति से की जाएगी:–

क्रमांक	सेवा अवधि	उपदान की राशि
1.	एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुणा
2.	एक वर्ष से अधिक पर 5 वर्ष से कम	परिलब्धियों का छः गुणा
3.	5 वर्ष से अधिक पर 20 वर्ष से कम	परिलब्धियों का 12 गुणा
4.	बीस वर्ष या अधिक	पेंशन प्रदायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों का आधा जो परिलब्धियों के 33 गुणा से अधिक न हो । दिनांक 1-4-1997 अथवा उसके बाद सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में अधिकतम सीमा 3.50 लाख रुपये होगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. पेंशन का रूपान्तरण:–

(i) वित्त विभाग की संकल्प संख्या 1853 वि०, दिनांक 19-4-1990 की कंडिका 5 के प्रावधानों को आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1997 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के मामलों में, इस संकल्प की कंडिका 4(1) के अन्तर्गत 50 प्रतिशत की दर से निर्धारित पेंशन की अधिकतम 40 प्रतिशत के रूपान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है ।

(ii) राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक, अपने पेंशन की वांछित राशि जो स्वीकृत पेंशन की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो का रूपान्तरण हेतु, आवेदन-पत्र, संशोधित नये पेंशन प्रपत्र 4 में मनोनयन पत्र के साथ उपस्थापित कर सकेंगे । ऐसे प्रत्येक मामले में महालेखाकार, बिहार, पेंशन भुगतान आदेश के साथ ही पेंशन की 40 प्रतिशत राशि अथवा पेंशन के आवेदित अंश के रूपान्तरित मूल का प्राधिकार पत्र निर्गत कर देंगे । यह प्रक्रिया आगामी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी । अर्थात् दिनांक 1-4-2000 के प्रभाव से पेंशन रूपान्तरण हेतु नए पेंशन प्रपत्र संख्या 4 में आवेदित करना होगा । तबतक 40 प्रतिशत या उससे कम वांछित राशि के रूपान्तरण का कार्य पूर्व प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा । सुलभ प्रसंग हेतु, दिनांक 1-4-2000 से प्रभावी नए संशोधित पेंशन प्रपत्र संख्या 4 का नमूना इस संकल्प के साथ संलग्न है ।

(iii) दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जिनका पेंशन रूपान्तरण वित्त विभाग की संकल्प संख्या 1853, दिनांक 19-4-1990 के प्रावधानों के तहत् किया है के मामले में निर्धारित पेंशन की प्रतिशत राशि से पूर्व में की गई रूपान्तरित पेंशन की राशि घटाकर शेष पेंशन की राशि के रूपान्तरण की अनुमति पेंशनधारियों को होगी । इसके लिए पेंशनधारियों को स्वास्थ्य परीक्षा कराना आवश्यक नहीं होगा चाहे पूर्व में उनके पेंशन का रूपान्तरण स्वास्थ्य परीक्षा के आधार पर ही किया गया हो अथवा बिना स्वास्थ्य परीक्षा कराये हुआ हो । ऐसे प्रत्येक मामले में पेंशन भुगतान आदेश के साथ ही महालेखाकार अन्तर पेंशन के रूपान्तरित मूल्य का प्राधिकार पत्र भी निर्गत कर देंगे एवं पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान भी पेंशन की रूपान्तरित राशि के कटौती के बाद किया जाएगा ।

(iv) स्वास्थ्य परीक्षा के मामले आवेदन-पत्र स्वास्थ्य परीक्षा हेतु वित्त विभाग द्वारा सीधे सम्बन्धित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा । ऐसे मामलों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है ।

8. महँगाई राहत:– राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को केन्द्रीय दर पर एवं केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार महँगाई राहत दिया जाए । भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों हेतु पुनरीक्षित/समेकित/पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर निम्नांकित दर से महँगाई राहत स्वीकृत की गई है:–

क्रमांक	प्रभाव की तिथि	प्रतिमाह महँगाई राहत की दर
1.	1-1-1997	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 8 प्रतिशत
2.	1-7-1997	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 13 प्रतिशत
3.	1-1-1998	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 16 प्रतिशत
4.	1-7-1998	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 22 प्रतिशत
5.	1-1-1999	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 32 प्रतिशत
6.	1-7-1999	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 37 प्रतिशत

तद्नुसार दिनांक 1 अप्रैल अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को इस आदेश के अनुसार निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर उपर्युक्त दर से महँगाई राहत देय होगा ।

9. दिनांक 1 जनवरी, 1996 से दिनांक 31 मार्च, 1997 तक सेवानिवृत्त हुए/होने वाले सरकारी सेवकों को यह विकल्प देने की सुविधा रहेगी कि इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व, प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत अपना पेंशन/उपदान प्राप्त कर सकते हैं ।

10. बकाये राशि का भुगतान:– राज्य सरकार के पेंशनभोगी जो दिनांक 1 जनवरी, 1996 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण पूर्व नियमों के अनुसार किया गया है, के बकाये राशि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा दिनांक 1-4-1997 के बाद समय-समय पर निर्गत महँगाई राहत एवं अन्तरिम राहत से सम्बन्धित निर्गत संकल्पों द्वारा स्वीकृत दरों से भुगतान की गई राशि एवं पूर्व निर्धारित पेंशन की राशि को समंजित कर किया जायेगा ।

बकाए राशि का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में किया जाएगा । बकाए राशि की प्रथम किस्त का भुगतान जून, 2000 माह में, द्वितीय किस्त का जून, 2001 में एवं तृतीय किश्त का भुगतान जून, 2002 में किया जाएगा ।

11. महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि इस संकल्प में निहित प्रावधानों के आधार पर पेंशनभोगी कर्मचारियों के मामले में पुनरीक्षित पेंशन/पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन एवं सेवानिवृत्त/मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र यथाशीघ्र निर्गत करें ।

Scanned with OKEN Scanner

अन्य राज्यों में रहने वाले तथा अपने पेंशन का भुगतान प्राप्त करने वाले इस राज्य के पेंशन/ पारिवारिक पेंशनधारकों को भी इस आदेश के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान करने हेतु अन्य राज्यों के महालेखाकारों को प्राधिकार निर्गत किया जाए तथा उसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाए। कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारियों से अनुरोध है कि पेंशन का भुगतान इस आदेश के अनुसार करने के लिए सम्बन्धित बैंकों को इस निर्णय से अवगत करा दें।

12. इस आदेश के प्रावधानों अन्तर्गत गणना करने से यदि पेंशन, पारिवारिक पेंशन और महँगाई राहत की राशि पैसे में आती है तो वित्त-विभाग के पत्रांक 15282, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 में निहित प्रावधानों के आधार पर भुगतान हेतु उसे अगले रुपये में परिवर्त्तित किया जाएगा। उपदान और पेंशन की रूपान्तरित मूल्य की राशि पैसे में होने पर उसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित कर अर्थात् 50 पैसे से कम पैसे को छोड़ते 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को पूर्ण रुपये में बदलकर भुगतान की जाएगी।

अनुलग्नक–1

औसत परिलब्धियों की संगणना हेतु

उदाहरण–1·

1. अपुनरीक्षित वेतनमान – रु० 1640-60-2600-75-2900
2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660 दिनांक 8-2-1999 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान – रु० 5500-175-9000
3. सेवानिवृत्ति की तिथि – 31-1-1996
4. विगत वेतन वृद्धि की तिथि – 1-6-1995
5. अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन
   1. दिनांक 1-6-1995 के पूर्व – रु० 2825 प्रतिमाह
   2. दिनांक 1-6-1996 से – रु० 2900 प्रतिमाह
6. दिनांक 1-1-1996 को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन – रु० 8825 प्रतिमाह
7. पेंशन प्रदायी सेवा – 33 वर्ष से अधिक
8. औसत परिलब्धियों की संगणना –

अवधि		अपुनरीक्षित मूल वेतन	अनुमान्य महँगाई भत्ता @ 148%	अनुमान्य अंतरिम सहायता	अनुमान्य फिटमेंट वेटेज @ 40%	परिलब्धियाँ	कुल परिलब्धियाँ
से	तक						
1-4-95	31-05-95	2825	4181	383	1130	8519×2	17038
1-6-95	31-12-95	2900	4292	390	1160	8742×7	61194
1-1-96	03-01-96	–	–	–	–	8825×1	8825
					योग		
					10 माह		87057

9. औसत परिलब्धियाँ – रु० 87057 – 10 = 8705.70
10. अनुमान्य पेंशन – रु० 8705.70 का 50 प्रतिशत 4352.85 = 4353
11. दिनांक 1-4-1987 के प्रभाव से भुगतेय पेंशन – रु० 4353 प्रतिमाह

अनुलग्नक–2

औसत परिलब्धियों की संगणना हेतु

उदाहरण–1

1. अपुनरीक्षित वेतनमान – रु० 1320-30-1560-40-2040
2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3435 दिनांक 8-6-1999 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान – रु० 4000-100-6000
3. सेवानिवृत्ति की तिथि – 31-1-1996
4. विगत वेतन वृद्धि की तिथि – 1-10-1995

Scanned with OKEN Scanner

5. अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन –
   1. दिनांक 1-10-1995 के पूर्व – रु० 1960 प्रतिमाह
   2. दिनांक 1-10-1995 से – रु० 2000 प्रतिमाह
6. दिनांक 1-1-1996 को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन – रु० 6000 + 60 (R.P.P.) = 6060
7. पेंशनप्रदायी सेवा – 32 वर्ष, 4 माह और 25 दिन अर्थात् 32.5 वर्ष
8. औसत परिलब्धियों की संगणना:–

अवधि		अपुनरीक्षित मूल वेतन	अनुमान्य महँगाई भत्ता @ 148%	अनुमान्य अंतरिम सहायता	अनुमान्य फिटमेंट वेटेज @ 40%	परिलब्धियाँ	कुल परिलब्धियाँ
से	तक						
1-6-'95	30-09-'95	1960	2901	296	784	5941×4	23764
1-1-'95	31-12-'95	2000	2960	300	800	6060×3	18180
1-1-'96	31-03-'96	–	–	–	–	6060×3	18180
					योग		
					10 माह		60124

9. औसत परिलब्धियाँ – रु० 60124 ÷ 10 = 6012.40
10. औसत परिलब्धियों की 50 प्रतिशत – रु० 3006.20
11. पेंशन – (3006.20 × 32.5) ÷ 33 = 2960.65 अर्थात् 2961
12. दिनांक 1-4-1997 के प्रभाव से भुगतेय पेंशन – रु० 2961 प्रतिमाह ।

103

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संख्या पी०सी० 01/99-11557 वि०पें०, दिनांक 22-12-1999 की प्रतिलिपि ।]

विषय:– दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों का वैचारिक रूप से वेतन का निर्धारण करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का समेकन ।

भारत सरकार के कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगियों कल्याण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 45/86/97 पी० एण्ड पी०डब्लू० (ए०) भाग 3, दिनांक 10 फरवरी, 1998 के द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी के वेतन एवं पेंशन का वैचारिक रूप से निर्धारण करते हुए पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का समेकन किया गया है । इस विषय पर फिटमेंट कमिटी के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार के 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारकों के वेतन का वैचारिक रूप से निर्धारण करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था । सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के तत्सम्बन्धी प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन/ परिवर्द्धन हेतु परवर्त्ती कंडिकाओं के प्रावधानों के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है ।

2. प्रभाव की तिथि:– इस संकल्प के निहित प्रावधान दिनांक 1 जनवरी, 1996 के प्रभाव से वैचारिक (Notional) रूप से लागू होंगे तथा उनका आर्थिक लाभ दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से देय होगा ।

3. दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पूर्व के पेंशनरों से अभिप्रेत है –

(1) सेवानिवृत्ति पेंशन Retiring Pension (2) वार्धक्य पेंशन Superannuation Pension

(3) अनुकम्पा पेंशन Compensation Pension (4) अशक्तता पेंशन Invalid Pension

4. वेतन का निर्धारण:–

4.1 सरकारी सेवक का उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 1 जनवरी, 1986 तक का वैचारिक वेतन का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा निर्गत निम्नांकित आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा –

(क) तृतीय वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर आधारित संकल्प संख्या 14636, दिनांक 30-11-1972 के परिशिष्ट 4 के नियमानुसार दिनांक 1-1-1971 से ...

(ख) चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर आधारित वित्त विभाग के संकल्प सं० 10770, दिनांक 31-12-1981 के पुनरीक्षित (iii) के अनुसार दिनांक 1-4-1981 से ...

Scanned with OKEN Scanner